10

संख्या–1104/सत्तर–6–2014–2(97)/2014

प्रेषक,

दिलीप कुमार श्रीवास्तव
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी।

उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ
संख्या 331/रा०उ०शि०प०/20
दिनांक 18-9-14

उच्च शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ : दिनांक 01 अगस्त, 2014

विषयः महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये महाविद्यालयों/संस्थानों को खोले जाने तथा स्थापित महाविद्यालय/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त पाठ्यकमों व विषयों को प्रारम्भ किये जाने हेतु राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 यथासंशोधित की धारा–37 (2) के परन्तुक के अधीन पूर्वानुमति दिये जाने की व्यवस्था थी। उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत सत्र, 2014–2015 हेतु निर्धारित समय सारणी के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों पर प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में गठित सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 10–07–2014 में विचार किया गया। उक्त समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2– उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम–2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा–37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है।

3– उक्त के दृष्टिगत सम्बद्धता समिति की संस्तुति की प्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सम्बद्धता के आदेश अपने स्तर से निर्गत किये जाने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें ताकि सत्र, 2014–2015 के संचालन में व्यवधान उत्पन्न न हो। उक्त के अतिरिक्त जिन प्रकरणों में शासन स्तर पर सुनवाई का निर्णय लिया गया है किन्तु अन्तिम निर्णय/सुनवाई नहीं हो सकी है, उनके संबंध में विश्वविद्यालय संस्था का पक्ष सुनते हुए अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संलग्नक : यथोक्त।

संख्या–1104(1)/सत्तर–6–2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
(3) सचिव/प्रबन्धक, संबंधित समस्त महाविद्यालय।
(4) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
(5) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0शासन।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

18/09/14

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये महाविद्यालयों/संस्थानों को खोले जाने तथा स्थापित महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त पाठ्यक्रमों व विषयों को प्रारंभ किये जाने हेतु सम्बद्धता के प्रस्तावों पर विचार किये जाने के लिये दिनांक 10 जुलाई, 2014 को प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये महाविद्यालयों/संस्थानों को खोले जाने तथा स्थापित महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त पाठ्यक्रमों व विषयों को प्रारंभ किये जाने आदि के संबंध में महाविद्यालयों/संस्थानों को दी जाने वाली सम्बद्धता के प्रकरणों के निस्तारण हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या–2527/सत्तर–2–2008–2(166)/2002, दिनांक 10 जून, 2008 के द्वारा विभागीय समिति का गठन निम्नवत् किया गया है:–

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन — अध्यक्ष
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन — सदस्य
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद — सदस्य
4. संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव — सदस्य
5. संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी — सदस्य

(2) दिनांक 10–07–2014 को उपर्युक्त समिति के समक्ष महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से प्राप्त सम्बद्धता के प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया। महाविद्यालयों/संस्थानों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति आख्या एवं मन्तव्य पर समिति द्वारा विचार किया गया। नीचे तालिका के स्तम्भ–2 में अंकित महाविद्यालय के सम्बन्ध में तालिका के स्तम्भ–4 में समिति का मन्तव्य अंकित है:–

1	2	3	4
क0	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम/विषय तथा विश्वविद्यालय की संस्तुति	समिति का मन्तव्य/संस्तुति
1.	राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी महाविद्यालय, कमलापुर, नियमताबाद, चन्दौली	बी0ए0 तथा बी0सी0ए0 (प्रपत्र–ए)	शैक्षिक सत्र 2013–14 के परीक्षाफल के अभाव में सत्र 2014–15 हेतु सम्बद्धता की सशर्त पूर्वानुमति की संस्तुति प्रदान की जाती है। शर्त यह है कि घोषित परीक्षाफल शासनादेश दिनांक 27 सितम्बर, 2002 के अनुरूप (60 प्रतिशत उत्तीर्ण) होने की स्थिति में सत्र 2014–15 से सम्बद्धता की सशर्त पूर्वानुमति के प्रश्नगत आदेश को (स्थायी) की बिना किसी शर्त के पूर्वानुमति मानते हुए विश्वविद्यालय स्तर से सम्बद्धता आदेश निर्गत किये जायेंगे।
2.	हरिश्चन्द महाविद्यालय, गौरासिंगा (कचनरवा) सोनभद्र	बी0ए0 (प्रपत्र–बी)	निम्नलिखित कमियों की पूर्ति की शर्त के अधीन दिनांक 01–07–2014 से सम्बद्धता की पूर्वानुमतिः– 1– आयुक्त मीरजापुर के पत्र दिनांक 05–09–2009 द्वारा गाटा संख्या–4076ख. मि0 में उपलब्ध रकबा 2.024 हे0 महाविद्यालय के पक्ष में अंकित किया गया है जबकि राजस्व अभिलेखों में महाविद्यालय के नाम गाटा संख्या–4076ख मि0 रकबा 2.024 में से रकबा 0.885 हे0 भूमि बैनामा के आधार पर दूसरे पक्ष को बेची जा चुकी है। वर्तमान में महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में 11390 वर्गमी0 भूमि ही है। अतः एन0ओ0सी0 में इस अन्तर को संशोधित कराया जाना शेष है।

3.	श्री सहदेव पौधरिया अम्बेडकर महाविद्यालय, मन्दा रसड़ा, बलिया	बी0ए0 (प्रपत्र–बी	निम्नलिखित कमियों के दृष्टिगत दिनांक 01–07–2014 से आगामी तीन वर्षों हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमतिः– 1– महाविद्यालय को संचालित करने वाली सोसायटी एवं प्रबन्ध समिति कालातीत है। 2– प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं का कार्यभार ग्रहण कराकर वेतन का भुगतान होना शेष है।
4.	महादेव महाविद्यालय, बरियासनपुर, वाराणसी	एम0एससी0 (वनस्पति विज्ञान एवं रसायन विज्ञान) (प्रपत्र–बी)	निम्नलिखित कमियों के दृष्टिगत दिनांक 01–07–2014 से आगामी दो वर्षों हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमतिः– 1– महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति के अनुमोदन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 2– याचित विषयों में प्रवक्ताओं का चयन एवं अनुमोदन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
5.	महादेव महाविद्यालय, बरियासनपुर, वाराणसी	एम0ए0 (गृह विज्ञान एवं समाजशास्त्र) (प्रपत्र–बी)	–तदैव–
6.	गंजी प्रसाद महाविद्यालय, डिहवां, मुगलसराय, चन्दौली	बी0एससी0 (प्रपत्र–बी)	निम्नलिखित कमियों के दृष्टिगत दिनांक 01–07–2014 से आगामी तीन वर्षों हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमतिः– 1– शिक्षकों का चयन एवं अनुमोदन प्रक्रियाधीन है।
7.	डॉ0 घनश्याम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सोयेपुर, लालपुर, आजमगढ़ रोड़, वाराणसी	एम0एससी0 (भौतिक विज्ञान एवं गणित) (प्रपत्र–बी)	निम्नलिखित कमियों के दृष्टिगत दिनांक 01–07–2014 से आगामी दो वर्षों हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमतिः– 1– महाविद्यालय में याचित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन किया जाना शेष है। 2– अग्निशमन यंत्र के अद्यतन नवीनीकृत होने का प्रमाण संलग्न नहीं है।
8.	डॉ0 राममनोहर लोहिया सूबेदार महाविद्यालय, हबसापुर, अवराईकला, बलिया।	बी0ए0 (शिक्षाशास्त्र, मनोविज्ञान एवं समाजकार्य अतिरिक्त विषय) तथा एम0ए0 (गृहविज्ञान एवं भूगोल) (प्रपत्र–बी)	निम्नलिखित कमियों के दृष्टिगत दिनांक 01–07–2014 से बी0ए0 पाठ्यक्रम के विषयों में दो तीन तथा एम0ए0 पाठ्यक्रम के विषयों में दो वर्ष हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमतिः– 1– शिक्षकों क़ा अनुमोदन प्रक्रियाधीन है।
9.	गौरव बी0टी0सी0 महिला कालेज, कटारी, चोलापुर, वाराणसी	बी0ए0 तथा बी0काम0 (प्रपत्र–बी)	निम्नलिखित कमियों के दृष्टिगत दिनांक 01–07–2014 से आगामी तीन वर्षों हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमतिः– 1– महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति का अनुमोदन शेष है। 2– महाविद्यालय में प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं का अनुमोदन प्रक्रियाधीन है।

10.	माँ मंशा देवी महविद्यालय, बरहनी, चन्दौली	बी0ए0 (भूगोल एवं षिक्षाषास्त्र अतिरिक्त विशय) तथा एम0ए0 (हिन्दी एवं गृहविज्ञान) (प्रपत्र–बी)	निम्नलिखित कमियों के दृष्टिगत दिनांक 01–07–2014 से स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों हेतु आगामी तीन वर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में दो वर्ष हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमतिः– 1– नियुक्त शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण कराया जाना। 2– बैंक के माध्यम से भुगतान किये जाने का प्रमाण।
11.	गोपाल जी महाविद्यालय, रेवती, बलिया	बी0ए0 (सैन्य विज्ञान तथा वाणिज्य) एवं बी0काम0 (प्रपत्र–बी)	निम्नलिखित कमियों के दृष्टिगत दिनांक 01–07–2014 से आगामी तीन वर्षो हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमतिः– 1– शिक्षकों का चयन एवं अनुमोदन प्रक्रियाधीन है।
12.	जगतपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगतपुर, वाराणसी	एम0ए0 (हिन्दी एवं मनोविज्ञान विषय) (प्रपत्र–बी)	निम्नलिखित कमियों के दृष्टिगत दिनांक 01–07–2014 से आगामी दो वर्षो हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमतिः– 1– संदर्भित विषयों में शिक्षकों का विश्वविद्यालय से अनुमोदन कराया जाना शेष है। 2– सामूहिक नकल में अरोपित न होने का का प्रमाणपत्र संलग्न नहीं है। 3– सत्र 2012–13 का सत्यापित परीक्षाफल वांछित है।
13.	रामललित सिंह महाविद्यालय, कैलहट, चुनार, मीरजापुर	एम0एससी0 (रसायन विज्ञान एवं प्राणि विज्ञान) (प्रपत्र–बी)	निम्नलिखित कमियों के दृष्टिगत दिनांक 01–07–2014 से आगामी दो वर्षों हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमतिः– 1– याचित विषयों हेतु नियुक्त शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण कराया जाना तथा वेतन भुगतान की कार्यवाही शेष है।
14.	पं0 राजपति पाण्डेय गुलाव कली महिला महाविद्यालय, मवैया जिगना, मीरजापुर	बी0ए0 (प्रपत्र–बी)	निम्नलिखित कमियों के दृष्टिगत दिनांक 01–07–2014 से आगामी तीन वर्षो हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमतिः– 1– प्रबन्ध समिति अनुमोदित नहीं है। 2– नियुक्त शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण कराया जाना तथा वेतन भुगतान की कार्यवाही शेष है।
15.	राजदीप महिला महाविद्यालय, कैलहट, मीरजापुर	बी0एससी0 (प्रपत्र–बी)	निम्नलिखित कमियों के दृष्टिगत दिनांक 01–07–2014 से आगामी तीन वर्षो हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमतिः– 1– नियुक्त शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण कराया जाना तथा वेतन भुगतान की कार्यवाही शेष है।
16.	पं0 राम जियावन शुक्ल महाविद्यालय, रोही, ज्ञानपुर, भदोही	बी0कॉम0 (प्रपत्र–बी)	निम्नलिखित कमियों के दृष्टिगत दिनांक 01–07–2014 से आगामी तीन वर्षो हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमतिः– 1– याचित पाठ्यक्रम हेतु प्रवक्ताओं की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है, शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण कराया जाना तथा वेतन भुगतान की कार्यवाही शेष है। 2– प्रबन्ध समिति अनुमोदित नहीं है।

17.	एम0एस0 आदर्श महाविद्यालय, पोलवा महुली, दुद्धी, सोनभद्र	बी0ए0 (भूगोल, गृहविज्ञान एवं शिक्षाशास्त्र अतिरिक्त विषय) (प्रपत्र–बी)	निम्नलिखित कमियों के दृष्टिगत दिनांक 01–07–2014 से आगामी तीन वर्षों हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमतिः– 1– नियुक्त शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण कराया जाना तथा वेतन भुगतान की कार्यवाही शेष है।
18.	रामसुरेश सिंह महाविद्यालय, दीक्षितपुर (शिवशंकरी धाम), चुनार, मीरजापुर	बी0ए0 तथा बी0एससी0 (प्रपत्र–बी)	निम्नलिखित कमियों के दृष्टिगत दिनांक 01–07–2014 से आगामी तीन वर्षों हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमतिः– 1– प्रबन्ध समिति अनुमोदित नहीं है। 2– याचित पाठ्यक्रम हेतु प्रवक्ताओं की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है, शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण कराया जाना तथा वेतन भुगतान की कार्यवाही शेष है।
19.	राजनाथ सिंह महाविद्यालय लोहटा पचदौरा, बलिया	बी0ए0 (असंस्तुत)	विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 05 जुलाई, 2014 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि निरीक्षण मण्डल की आख्यानुसार महाविद्यालय में याचित पाठ्यक्रम हेतु भूतल पर तीन व्याख्यान कक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला कक्ष, छात्रा कॉमन रूम, प्राचार्य कक्ष एवं शौचालय निर्मित है। प्रथम तल पर तीन व्याख्यान कक्ष की छत पड़ चुकी है तथा एक सप्ताह में बांस बल्ली खुल जायेगी। बाउन्ड्रीवाल तीन तरफ से निर्मित है तथा एक तरफ निर्माणाधीन है। इस प्रकार निरीक्षण आख्यानुसार महाविद्यालय में याचित पाठ्यक्रम हेतु मानक पूर्ण नहीं है। समिति यह संस्तुति करती है कि उक्त कमियों के सम्बन्ध में विशेष सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए मामले में सुनवाई करने के उपरान्त अपनी संस्तुति दी जाय।

(3) समिति द्वारा यह भी संस्तुति की गयी है किः–

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र–बी में इंगित समस्त कमियों को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 02 जुलांई, 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. उपरोक्त सूची में जिन संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति की संस्तुति की गयी है, उनके सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा तथा विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा। संस्था

विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।

4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

डा0 (अलबेले सिंह) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी	(सुभाष चन्द्र वर्मा) सहायक कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी	डा0 (महेन्द्र राम) निदेशक, उच्च शिक्षा	(बी0बी0 सिंह) विशेष सचिव।

(नीरज कुमार गुप्ता)
प्रमुख सचिव